IJAER/May-June 2018/Volume-7/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# भारतीय संविधान में उपबंधित राष्ट्रपति शासन के प्रावधान एवं संविधान निर्मात्री सभा के संदर्भ

**Dr Sarita Tiwari**

Associate Professor , Department of Political Science,

Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar.

**सार**

*भारत राज्यों का एक परिसंघ है। भारतीय संविधान में संघात्मक व एकात्मक शासन दोनों के ही लक्षण समायोजित हैं। यह विवाद का विषय बना हुआ है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है या एकात्मक, अथवा इसमें दोनों ही लक्षण समाविष्ट हैं। फिर भी स्वतंत्र भारत में संघीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि सन् 1935 के 'गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट' और उसके पूर्व के संवैधानिक इतिहास के विकासक्रम में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसी प्रकार श्री पी.आर. दुबाशी जैसे विद्वानों ने भारतीय संविधान में केन्द्रीयता की प्रवृत्तियों को भी स्थापित किया है। किन्तु अपने इसी अध्ययन में इन्होंने भारतीय संविधान के लागू होने के एक दशक के भीतर 'सामुदायिक विकास' जैसे कार्यक्रमों के गहन अध्ययन के बाद यह तय पाया है कि उपर्युक्त 'केन्द्रीयता की प्रवृत्तियों के विरोधी लक्षण भी उभरते प्रतीत होते हैं। निश्चय ही यह मान लेने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए कि भारतीय संविधान संघीयता तथा केन्द्रीयता के लक्षणों का मिला-जुला अद्भुत स्वरूप है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जानबूझ कर अत्यन्त सतर्कता पूर्वक भारतीय शासन व्यवस्था हेतु एक मजबूत केन्द्रीय प्रवृत्ति के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया। वे एक मजबूत तथा स्थिर केन्द्र चाहते थे। कुल मिलाकर भारतीय शासन व्यवस्था केन्द्र तथा संघीय राज्यों के बीच समायोजन का प्रतिफल है। इस समायोजन के अन्तर्गत संघीय राज्यों को कई मामलों में स्वायत्तता एवं केन्द्र को किन्हीं परिस्थितियों में संघीय राज्यों के ऊपर नियन्त्रणकारी एवं सन्तुलनकारी शक्तियाँ प्रदान की गयी है।*

**मुख्य शब्द:** *भारतीय, संविधान , स्वतंत्र, भारत*

**परिचय**

स्वतंत्र भारत हेतु जब संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था तो उसी दौरान केन्द्र द्वारा राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 356 की व्यवस्था पर जवाब देते हुए सावधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान सभा ने उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट (1935) के अनुभाग-93 को भारत के लिए बनने वाले संविधान में सम्मिलित कर लेने के लिए कहा था।' कि 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट (1935) में उपबन्धित प्रांतीय स्वायत्तता, प्रान्तों पर केन्द्रीय नियन्त्रण हेतु उपबन्धित अनुभाग-93 तथा भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप और मजबूत केन्द्रीय व्यवस्था हेतु उपबन्धित भाग XVIII के 'आपातकालीन उपबन्ध' शीर्षक के अन्तर्गत अनुच्छेद 356 के बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध है।

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था "विविधता के बीच एकता" की गहराई से आत्मसात की गई संस्कृति के कारण अद्वितीय है। भारत एक "राज्यों का संघ" है जो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता, विभाजनकारी ताकतों के उन्मूलन और विशाल देश के प्रभावी प्रशासन के लिए बनाया गया है। संविधान भारत एक ऐसा संगठन है जो एक तरफ संघ और राज्यों के बीच और दूसरी तरफ राज्यों के बीच सहज बातचीत के लिए एक उत्कृष्ट प्रारूप प्रदान करता है।

भारतीय संघ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संघ को सातवीं अनुसूची की सूची I में शामिल अखिल भारतीय मामलों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। प्रकृति

और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उक्त प्रावधानों के तहत राज्यों को उक्त अनुसूची की सूची II में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है जो राज्यों के प्रभावी शासन के लिए आवश्यक हैं। समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए, संघ और राज्य दोनों को सूची III, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है, में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संघ की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 73 के तहत इसकी विधायी शक्ति की सीमा तक और राज्यों की कार्यकारी शक्ति को अनुच्छेद 162 के तहत उनकी विधायी शक्तियों की सीमा तक विस्तारित किया गया है।

दोनों के बीच शक्तियों के स्पष्ट सीमांकन के बावजूद, संघ को अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 के तहत निर्दिष्ट कुछ स्थितियों में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

संविधान सभा में लंबी बहस के बाद शक्तियों का सीमांकन किया गया। कई प्रावधानों पर मतभेद थे लेकिन अंततः आम सहमति बनी।

संघ के पक्ष में स्पष्ट झुकाव भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की एक विशेषता है। यह सुविधा स्पष्ट रूप से देश की विशिष्ट ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी गई थी।

वे परिस्थितियाँ जिनके तहत संघ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, अच्छी तरह से परिभाषित हैं। अनुच्छेद 356 के तहत "संवैधानिक मशीनरी की विफलता" ऐसी परिस्थितियों में से एक है जिसमें संघ किसी राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को एक आवासीय द्वारा ग्रहण कर सकता है। यदि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उद्घोषणा। इस प्रावधान के तहत शक्ति राज्य के अधिकार को अस्थायी रूप से कम कर देती है और इस प्रकार, यह एक कठोर शक्ति है। इसलिए, प्रावधान को आपातकालीन शक्तियों से संबंधित भाग "आपातकालीन प्रावधान" के अंतर्गत रखा गया है। जब भी किसी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है।

**उपबंधित राष्ट्रपति शासन के प्रावधान:**

अनुच्छेद 356 (अद्यतित: 2022): इस अनुच्छेद में उपबंधित राष्ट्रपति शासन के प्रावधान हैं। यह अनुच्छेद राज्यों के अंदर असुरक्षित स्थितियों के सम्बंध में राष्ट्रपति को शासन करने की अनुमति देता है।

प्राधिकृतिक अनुच्छेद (अनुच्छेद 365-367): यह अनुच्छेद उपबंधित राष्ट्रपति शासन के क्षेत्र को सीमित करते हैं और स्थानीय स्वशासन को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शित करते हैं।

राज्यों में संविधान व्यवस्था (अनुच्छेद 370): कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान होने के कारण, इस अनुच्छेद के तहत कश्मीर में उपबंधित राज्यप्रमुख के अधीन रहने वाले विशेष धाराएँ हैं।

**संविधान निर्मात्री सभा के संदर्भ:**

संविधान निर्मात्री सभा (Constituent Assembly): भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए बनाई गई थी जिसे संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है। यह सभा 1946 से 1949 तक कार्य करती रही और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को स्वीकृत करने के बाद अपना कार्य समाप्त कर दिया।

भारतीय संविधान (Constitution of India): संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान भारतीय गणराज्य का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का अधिकार प्रदान करता है और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित है।

भारतीय संविधान का विनियमन (Amendment of the Constitution): संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को समय-समय पर संविधानिक संशोधन के माध्यम से सुधारा जा सकता है। यह सुधार विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है।

**'राष्ट्रपति शासन व्यवस्था ( अनुच्छेद 356) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हेतु उपबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की सम्पूर्ण जानकारी के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन अनिवार्य है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय शासन अधिनियम (1935) का अनुभाग 93 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रमुख आधार है, जिसके अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ के किसी राज्य में जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य न कर पाने की स्थिति में राष्ट्रपति के शासन या केन्द्रीय शासन का प्रावधान है। वस्तुतः भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के प्रावधान के पीछे एक रोचक इतिहास रहा है। यह एक सच्चाई है कि अनुच्छेद 356 जैसी व्यवस्था का आरंभ बिन्दु 1931 का श्वेत पत्र है। इस श्वेत पत्र के तहत प्रान्तीय गवर्नरों को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व सौंपने की सिफारिश की गयी थी ताकि प्रांतीय सरकारों की कार्यवाही को सुरक्षित किया जा सके।

गर्वनर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी थी जिसका अनुमोदन सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल द्वारा किया जाना आवश्यक था। श्वेत पत्र के तहत गर्वनर को किसी प्रान्त में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के समय अतिरिक्त शक्तियाँ सौंपी गयी थीं। 1931 के श्वेत पत्र के सम्बन्धित अनुभाग मैं यह उल्लिखित था यदि किसी समय, गवर्नर को समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें प्रान्तीय सरकार संवैध निक अधिनियम के अनुसार नहीं चल सकती तो वह उद्घोषणा द्वारा उन समस्त शक्तियों को जो किसी भी प्रांतीय प्राधिकारी के पास है और जो प्रान्तीय सरकार को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है, गवर्नर अपने हाथ में ले सकेगा। इस उद्घोषणा को, जिसका प्रभाव पार्लियामेंट के अधिनियम की तरह ही होगा, गवर्नर जनरल एवं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा।

श्वेत पत्र 1931 में उपबन्धित गवर्नर की उन विशिष्ट शक्तियों, उत्तरदायित्वों एवं संकटकालीन अधिकारों का ज्वाइन्ट कमिटी ऑन इंडियन कांस्टीट्यूशनल रिफार्म्स द्वारा समर्थन किया गया। तत्कालीन भारत की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए सशंकित थी कि प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य हमेशा गवर्नर को सहयोग देंगे और यह स्थिति प्रांतीय सरकारों को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न करेगी। यह समझा गया कि यह प्रावधान विशिष्ट होगा एवं सामान्य स्थितियों में लागू नहीं किया जाएगा। ज्वाइन्ट कमिटी इस प्रावधान की आवश्यकता से वाकिफ थी, अतएव उसने भी इसे अपना अनुसमर्थन दिया।

इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्वेत पत्र (1931) एवं ज्वाइन्ट कमिटी प्रस्तावों (1934) की आलोचना करते हुए संविधान सभा गठित करने की मांग की। तथापि, इन विभिन्न ब्रिटिश सुझावों को कतिपय सुधारों के साथ भारतीय शासन अधिनियम 1935 में सम्मिलित किया गया एवं यह अनुभाग 93 के रूप में सामने आया भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुभाग 93 के अन्तर्गत गवर्नर को यह अधिकार दिया गया था कि अगर गर्वनर को समाधान हो जाय कि प्रान्तों की सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो वह प्रांतों की निर्वाचित लोकप्रिय सरकार को हटा सकता है। इस सम्बन्ध में, गवर्नर मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं था।

प्रांतीय गवर्नर विधानमण्डल की अधिनियम के ऐसे उपबन्धों को एकत्रित कर सकता था जिसे स्थगित करना वह आवश्यक समझे।" इसी तरह के आपातकालीन विशिष्ट अधिकार केन्द्र में गवर्नर जनरल को दिए गए थे। भारत शासन अधिनियम 45 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गयीं थी कि अगर किसी समय गवर्नर जनरल को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि संघीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल सकती तो वह उद्घोषणा द्वारा उन समस्त शक्तियों को जो किसी भी संघीय प्राधिकारी के पास है और जो संघीय सरकार को चलाने के लिए आवश्यक है, गवर्नर जनरल अपने हाथ में ले सकता है।

भारत के संविधान निर्माता भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुभाग-93 को संविधान में प्राविधित करने के पक्ष में तो थे, पर अनुभाग-45 को वे स्थान नहीं देना चाहते थे।" भारत शासन अधिनियम के अनुभाग 93 को संविधान में किस रूप में उपबन्धित किया जाय इस मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यगण एकमत नहीं थे। मूल प्रावधान संविधान सभा में कई परिवर्तनों से गुजरा। इसके कतिपय ठोस कारण थे। भारतीय शासन अधिनियम के अनुभाग 93 का ब्रिटिश भारत में कई बार अनुचित प्रयोग हो चुका था। अनुभाग 93 उन अनुभागों में से एक था, जिन्हें भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 से हटा लिया गया था।"

संविधान सभा की 'दि मॉडल प्राविन्सियल कांस्टीट्यूशन कमिटी' भारतीय शासन अधिनियम के अनुभाग-93 को संविधान में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थी। प्रमुख संविधान निर्माताओं में से एक सरदार पटेल ने संविधान सभा को अनुभाग 93 को 'पिछले दरवाजे' से लाने के विरुद्ध चेतावनी दी थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देश के अन्दर तथा बाहर घटित होने वाली कुछ घटनाओं ने संविधान निर्मात्री सभा को इस दिशा में सोचने के लिए विवश किया कि नए संविधान में राज्यों की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाएँ। ये घटनायें थी वर्मा में अव्यवस्था, आंग सँग तथा उनके कैबिनेट के सदस्यों की हत्या एवं भारत के तेलांगना प्रदेश में हिंसात्मक घटनाएँ। इन घटनाओं के कारण संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान में विशिष्ट प्रावधान करना चाहा जो केन्द्र को जब राज्य की शांति एवं व्यवस्था बाधित होती हो, तब आपात काल की घोषणा का अधिकार प्रदान करें। इसी संदर्भ में श्री के एम. मुंशी एवं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे कुछ सदस्यों का विचार श्री कि राज्यों को पहले ही पर्याप्त स्वायत्तता दी जा चुकी है और संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता की स्थिति में केन्द्र को अधिकार दिए जायें।" इस सम्बन्ध में श्री मुंशी के संशोधनों को संविधान सभा द्वारा मान लिया गया। आगे चलकर 'कानून एवं व्यवस्था का मूल उद्देश्य जोड़ा गया तथा इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में स्थान दिया गया।

भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुभाग 93 को नए संविधान में रखने की बात नहीं थी, बल्कि अनुभाग 52 (1) एवं अनुभाग 57 शामिल करने की बात थी। बाद में अनुभाग 52 (1) एवं अनुभाग 57 को हटा दिया गया और अन्ततः सिर्फ अनुभाग 93 को रहने दिया गया। "

" संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए जाने चाहिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुभाग 93 के प्रावधानों के सदृश हों। "

अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 पर दृष्टिपात करें, तो पाएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 शब्द-दर-शब्द अनुभाग 93 का पुनर्स्थापन है। सिर्फ इंग्लैंड की पार्लियामेंट की जगह संसद के सदनों की व्यवस्था की गयी है और छः महीने की जगह दो महीने का समय कर दिया गया है।

"हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम, 1935 का एक पन्ना उठा लिया और रातों रात उसके समर्थक बन गये, जिसका एक समय व्यापक विरोध किया था।"

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संसदीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था है एवं राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने-अपने मंत्रिपरिषद् की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। किन्तु भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल या प्रांत का गवर्नर अपने- अपने मंत्रिपरिषद् की सलाह की परवाह किए बगैर भी निर्णय ले सकता था। भारतीय शासन अधिनियम के अनुभाग 93 के अन्तर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा सम्बन्धित प्रांत का गर्वनर कर सकता था जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत इस आशय की उदघोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है, न कि राज्य के राज्यपालों का। अनुभाग 93 के अन्तर्गत प्रांत के गर्वनर की सहमति के बगैर गवर्नर जनरल किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा नहीं कर सकता था। लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी ऐसी उद्घोषणा कर सकता है।

**राष्ट्रपति का 'समाधान' या सन्तुष्टि:**

किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को पूर्व शर्त राष्ट्रपति की सन्तुष्टि" या "राष्ट्रपति का समाधान है।" अतएव राष्ट्रपति शासन की सम्पूर्ण अवधारणा में 'समाधान' शब्द को अतिविशिष्ट ढंग से स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान निर्माता आपातकालीन उपबन्धों (अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 ) के संभावित दुरुपयोग के खतरे से सावधान थे। संविधान निर्माताओं को आशंका थी कि अनुच्छेद 356 केन्द्रीय सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। अतः राष्ट्रपति को अपने "समाधान" पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया।

**अवधारणात्मक स्वरूप :**

भारतीय संविधान का भाग XVIII कुछ आपातकालीन उपबन्धों की व्यवस्था देता है जो बाह्य आक्रमण, आन्तरिक संकट, सशस्त्र विद्रोह, भारतीय परिसंघ के किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने अथवा देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने के लिए कारगर हथियार के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। अनुच्छेद 356 एक ऐसा ही संवैधानिक उपबन्ध जो भारतीय परिसंघ के किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के ठप्प हो जाने राष्ट्रपति शासन अथवा केन्द्रीय शासन का विकल्प प्रदान करता है। संसदीय व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी हुई तथा जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी सरकार द्वारा शासन की व्यवस्था ही अभिहित है। किसी विशेष परिस्थिति में एक लोकप्रिय सरकार को समाप्त कर किसी बाह्य एजेंसी (राष्ट्रपति या केन्द्र) का शासन किसी राज्य में स्थापित करने की स्थिति की यह मांग है कि ऐसी किसी भी व्यवस्था का राजनीतिक दृष्टि से सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय पक्ष का गहन विश्लेषण किया जाय। इस क्रम में अनुच्छेद 356 के अवधारणात्मक स्वरूप का विश्लेषण अपरिहार्य है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 यह उपबन्धित करता है कि-

1. उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा।

2. घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद के

3. प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी,

4. वह ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जो कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें।"

अवधारणात्मक दृष्टि से उपर्युक्त उपबन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनका विश्लेषण अनिवार्य है।

- राष्ट्रपति या केन्द्र का शासन
- राष्ट्रपति का समाधान या इसकी संतुष्टि।
- राज्यपाल का प्रतिवेदन (राष्ट्रपति के समाधान या संतुष्टि के लिए,
- सर्वप्रथम साधन के रूप में।
- अन्यथा समाधान की स्थिति (राष्ट्रपति के समाधान के लिए एक वैकल्पिक साधन के रूप में)।
- किसी राज्य के शासन का संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार, न चल पाना, अथवा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना।

**राष्ट्रपति या केन्द्र सरकार और इनका शासन**

भारत में संसदात्मक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुरूप भारत में केन्द्रीय कार्यपालिका के दो प्रधान है एक नाममात्र का प्रधान राष्ट्रपति एवं दूसरा वास्तविक प्रधान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् या केंन्द्र सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि संसदीय व्यवस्था के आदर्श प्रतिमान इंग्लैण्ड की कार्यपालिका के नाममात्र प्रधान 'राजा' की तरह भारत की राजनीतिक व्यवस्था में 'राष्ट्रपति' रबर की मुहर मात्र नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 'राष्ट्रपति का संवैधानिक अर्थ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के साथ उसके सम्बन्ध से है जिसकी सहायता एवं परामर्श से राष्ट्रपति अपने दायित्वों का वहन करता है।" राष्ट्रपति का अर्थ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् से है जो सम्पूर्ण संसद के प्रति उत्तरदायी है, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधिगण होते हैं जो संघीय सरकार का निर्माण करते हैं।

"राष्ट्रपति के हाथ-पांव मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं और वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कुछ भी नहीं कर सकता। देश के शासन की प्रमुख जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री के ऊपर है और राष्ट्रपति कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में उन्हें सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है न कि कार्यपालिका का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है किन्तु शासन नहीं उसकी स्थिति प्रशासन में सिर्फ उत्सव प्रधान की है जिसकी मुहर से राष्ट्र का निर्णय मान्य होता है।

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति और
- जब केन्द्रीय सरकार संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार कार्य न कर

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद् के पास भेजे। यद्यपि अन्ततः मंत्रिपरिषद् की सलाह अभिभावी होगी, क्योंकि उसके पीछे संसद की स्वीकृति प्राप्त होती है जिसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है।"

**राष्ट्रपति का 'समाधान' या सन्तुष्टि:**

किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को पूर्व शर्त राष्ट्रपति की सन्तुष्टि" या "राष्ट्रपति का समाधान है।" अतएव राष्ट्रपति शासन की सम्पूर्ण अवधारणा में 'समाधान' शब्द को अतिविशिष्ट ढंग से स्थान प्राप्त है। भारतीय

संविधान निर्माता आपातकालीन उपबन्धों (अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 ) के संभावित दुरुपयोग के खतरे से सावधान थे। संविधान निर्माताओं को आशंका थी कि अनुच्छेद 356 केन्द्रीय सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। अतः राष्ट्रपति को अपने "समाधान" पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया।

**निष्कर्ष**

भारत शासन अधिनियम के अनुभाग 93 के अन्तर्गत अब उद्घोषणा जारी हो जाती है तो प्रांत के गवर्नर प्रांत के किसी भी प्राधिकारी या निकाय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) का अधिकार, हस्तगत कर सकता था एवं इनके प्रयोग में वह स्वविवेक का निर्बाध प्रयोग कर सकता था, इसके लिए वह किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं था, किन्तु अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल नहीं, बल्कि राष्ट्रपति राज्य सरकार एवं राज्यपाल के अधिकारों को हस्तगत कर सकता है एवं इसके लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुभाग 93 के अन्तर्गत गवर्नर राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता था किन्तु अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल की शक्तियों को राष्ट्रपति तब तक हस्तगत नहीं कर सकता है जब तक संसद आधिकारिक ढंग से विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त न कर दे। पार्लियामेंट के अनुमोदन के बगैर अनुभाग 93 के अन्तर्गत की गयी उदघोषणा छः महीने के लिए मान्य होती थी जबकि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा को दो महीने के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। अनुभाग 93 के अन्तर्गत, एक बार पार्लियामेंट से अनुमोदन मिल जाने के बाद यह घोषणा एक साल तक प्रभावी रह सकती थी यदि इस बीच उद्घोषणा समाप्ति की स्वीकृति न मिल जाए। जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत ऐसी उद्घोषणा एक बार में अधिक से अधिक छः महीने तक लागू रह सकती है। अन्ततः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, अपने वर्तमान स्वरूप में आने की प्रक्रिया में, संविधान सभा में कई परिवर्तनों के दौर से गुजरा। विशेषकर दो मुद्दों पर काफी बहस के बाद निर्णय हुआ। पहला, राज्य में संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो तथा दूसरा इसमें राज्यपाल को क्या भूमिका होगी। दूसरे सवाल का समाधान, संविधान प्रारूप समिति में लम्बी बहस के बाद इस निर्णय पर हुआ कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाय, निर्वाचन नहीं। अतः राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के लिए यह संभव नहीं होगा कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था के संकट की स्थिति में स्वविवेक से निर्णय ले सकी पहले मुद्दे के समाधान के लिए प्रारूप समिति में इस प्रावधान में सुधार हेतु दो मुख्य सुझाव दिए गए। प्रथम एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाए, जिसके द्वारा केन्द्र को राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाय। दूसरा, जब कभी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शासन नहीं चल रहा हो, राज्यपाल के स्थान पर, केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाए। यह संशोधन अनुच्छेद 277 ए में उपबन्धित किया गया जिसे आगे चलकर अनुच्छेद 355 के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। दूसरे सुझाव को संविधान सभा में अनुच्छेद 278 के अन्तर्गत उपबन्धित किया गया जिसमें कहा गया कि सवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाय। अनुच्छेद 278ए आगे चलकर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के रूप में जोड़ा गया।

**संदर्भ**

1. घनघस, अनिल. (2020)। आज़ादी से लेकर 2020 तक भारतीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना: एक विश्लेषण। 40. 769.

2. घनघस, अनिल. (2018)। भारतीय संघवाद की तुलना में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल। 2455-2194.

3. शर्मा, प्रीति. (2009)। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा: राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका। 2. 99-108.

4. पटेल,अखिलेश. (2011). भारत में अनुच्छेद 356 की संवैधानिक गतिशीलता। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। 10.2139/एसएसआरएन.1957588.

5. डे, रोहित और शनि, ऑर्निट। (2023)। भारत के संविधान का संयोजन: एक नये इतिहास की ओर। अतीत वर्तमान। 10.1093/pastj/gtad009.

6. चौहान, अनंत. (2019)। भारत के संविधान के अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 पर एक अंतर्दृष्टि।

7. सिंह, महेंद्र. (2017)। संविधान और व्यवहार में भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियाँ। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 63. vii-xviii. 10.1177/0019556117721847.

8. नायर, बालू. (2019)। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना: क्या राष्ट्रपति संविधान सभा की सिफारिश के बिना कार्य कर सकते हैं? भारतीय कानून समीक्षा. 3.254-279. 10.1080/24730580.2019.1700592।

9. दम, शुभंकर. (2011). भारत में राष्ट्रपति विधान: अध्यादेशों का कानून और अभ्यास। भारत में राष्ट्रपति विधान: अध्यादेशों का कानून और अभ्यास। 1-259. 10.1017/सीबीओ9781139626460।

10. चौधरी, शर्मेन्द्र. (2011). भारत में राष्ट्रपति की भूमिका. एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। 10.2139/एसएसआरएन.1790483.

11. वानी, ऐजाज़ और खान, इमरान और यासीन, तबज़ीर। (2021)। अनुच्छेद 370 और 35ए: उत्पत्ति, प्रावधान और विवाद की राजनीति। 10.1007/978-3-030-56481-0_3.

12. पद्मनाभन, अभिषेक शर्मा। (2020)। अनुच्छेद 370 के एकीकरण की संवैधानिकता और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर में विशेष स्थिति को निरस्त करना- एक आकलन.. 10.2021/716200649।

13. खटरा, जोगिंदर. (2018)। अध्याय-6 मौलिक अधिकार.

14. एडेनी के.एस. संघीय गठन और सामाजिक स्थिरीकरण: भारत और पाकिस्तान में राष्ट्रीय पहचान अभिव्यक्ति और जातीय विनियमन की राजनीति, पीएचडी थीसिस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (एलएसई) (2003) (10 मई, 2017), http:// पर उपलब्ध है। etheses.lse.ac.uk/428/.

15. अगम्बेन जी. अभिव्यक्ति की स्थिति (केल्विन एटेल (ट्रांस.), शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 2005)।